कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – vacancygmcshahdol@gmail.com, Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG, Office No. :- 07652-243000

क्रमांक/2352/स्था./एम.सी./2020 शहडोल, दिनांक 13/06/2020

विज्ञप्ति

कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक मानव संसाधन – स्टाफ नर्स/चिकित्सकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन माह की अवधि के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल से संबंद्ध डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कार्य करने हेतु की जानी है। जिसकी पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में **आवेदन दिनांक 17.06.2020 सायं 05:00 बजे तक** आमंत्रित किये जाते हैं।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या
1	स्टाफ नर्स	42
2	पी.जी. जनरल मेडिसिन	36
3	पी.जी. ऐनेस्थिेशिया	36
4	चिकित्सा अधिकारी (M.O.)	5
5	आयुष चिकित्सा अधिकारी	1

*** पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।**

1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थाई होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं।, अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. उपरोक्त नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु की जा रही है। जिसकी अवधि कुल 03 माह की होगी जो कि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है।
3. **आवेदन पत्र बंद लिफाफा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चांपा, शहडोल (म.प्र.), पिन – 484001 के नाम व्यक्तिगत रूप से अथवा केवल ई. मेल vacancygmcshahdol@gmail.com पर एकजाई दस्तावेज निर्धारित आवेदन पत्र के साथ स्कैन कर दिनांक 17.06.2020 सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। ई–मेल से भेजे गए आवेदन भी मान्य होंगे एवं आवेदन पत्र में पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात एवं अन्य ई.मेल में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।**
4. आवेदनों में कार्यानुभव एवं योग्यता के आधार पर वरीयता सूची (Merit List) तैयार कर चयन प्रक्रिया की जावेगी।
5. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
6. चयनित अभ्यार्थियों को मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के मापदंण्डों के आधार पर देय होगा।
7. अधिक जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के वेबसाइट www.gmcshahdol.org पर उपलब्ध है। कृपया समय–समय पर उसका अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पद का नाम, संख्या, शैक्षणिक योग्यता, एवं वांछनीय अर्हतायें संबंधी विवरण

स.क.	पद संख्या	पदनाम	योग्यता
1	42	स्टाफ नर्स	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त। 4. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका।
2	36	पी.जी. जनरल मेडिसिन	एम.डी.मेडिसिन
3	36	पी.जी. ऐनेस्थिेशिय	एम.डी. एनेस्थिेशिया
4	05	चिकित्सा अधिकारी (M.O.)	एमबीबीएस (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन।
5	01	आयुष चिकित्सा अधिकारी	बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एच.एम.एस. (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं म.प्र. आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में जीवित पंजीयन/ म.प्र. होम्योपैथी परिषद में जीवित पंजीयन।

निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा–किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी : जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एंव महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।)

Scanned with CamScanner

- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी– किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्व ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्व नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्व हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी –** मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक की वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वासयि परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाए, तथा वह ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करें।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरूद्व पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगीं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner